sk AMO-2013 (vigyapti)

म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी लिखित परीक्षा–2013
परीक्षा दिनांक 15.03.2015 (रविवार) अतिरिक्त परीक्षा परिणाम

क्रमांक– 1151 / 09 / 2015 / अनु–10 इन्दौर, दिनांक 26-4-16

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक–02 / परीक्षा / 2013 / 23.09.2013 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 26.10.2013 मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के लिये विज्ञापित कुल–722 पदों हेतु आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी लिखित परीक्षा–2013 परीक्षा दिनांक 15.03. 2015 रविवार एक सत्र मे प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक इन्दौर स्थित 13 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई थी।

2/ उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक–349 / 09 / 2015 / अनु.–10 दिनांक 28.05.2015 द्वारा घोषित किया गया था।

3/ डब्ल्यू.पी. नम्बर–78 / 2016 पूनम सोनगरा में माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर के आदेश दिनांक 02–02–2016 के अनुपालन में आवेदिका पूनम सोनगरा रोल नंबर–105603 को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जाता है । आयोग द्वारा अभ्यार्थी का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाकर साक्षात्कार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ।

4/ प्रकरण में अभ्यर्थी का अंतिम परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर में प्रचलित डब्ल्यू.ए. नंबर 43 / 2016 के निर्णय के अध्यधीन रहेगा ।

5/ साक्षात्कार हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट **www.mppsc.com, www.mppscdemo.in** एवं **www.mppsc.nic.in** पर उपलब्ध है। अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, शासकीय सेवक सेवा का प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्र जिसकी आवेदन पत्र में जानकारी दी गई है के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 10-5-16 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

6/ आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा।

7/ लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

8/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की संवीक्षा एवं सुक्ष्म जॉच के उपरान्त ही सही पाए जाने पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। आवेदक को साक्षात्कार की सूचना पृथक से भेजी जाएगी।

परीक्षा नियंत्रक